


निदेशक मण्डल, ३०प्र० आवास एवं विकास परिषद की
255वीं बैठक दिनांक 14 दिसम्बर, २०२१ का संशोधित कार्यवृत्त

मद सं०	विषय	अनुभाग	निर्णय
255/17	विशिष्ट कारणों से अपूर्ण ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं को पूरा करने एवं होम वायर्स को राहत पहुँचाने हेतु परिषद द्वारा प्रस्तावित नीति/नियम को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्पत्ति	<p>सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव इस शर्त के साथ शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया कि जो भी आवेदक इस नीति के अन्तर्गत आवेदन करेगा तो १ अप्रैल २०१६ या उसके बाद ९.३५ प्रतिशत ब्याज दर से आगणन करते हुए उसकी किश्तों का निर्धारण किया जायेगा। १ अप्रैल २०१६ से पूर्व परिषद की पूर्ववत्त व्यवस्था लागू रहेगी। साथ ही समय विस्तारण संबंधी छूट आवंटी / विकासकर्ता को तभी दी जायेगी जब आदेश निर्गत होने के १ वर्ष तक वह अपनी परियोजना पूर्ण कर ले। इसके अतिरिक्त प्रस्ताव के बिन्दु सं.१ पर उल्लिखित शून्य अवधि पर सहमति न बनने के कारण एवं बिन्दु सं २(े) एवं ३ पर स्थिति स्पष्ट न होने के कारण इन बिन्दुओं को छोड़ते हुए तथा अन्य बिन्दुओं को समाहित करते हुए सुस्पष्ट प्रस्ताव शासन को प्रेषित किए जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।</p>

अनुमोदित

 (दीपक कुमार) १८/१२
 अध्यक्ष